न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 06/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/6)

1. कमल कुमार पुत्र हरी किशोर पुत्र चन्द्रभान जाति अग्रवाल, निवासी शरणदासवाली फाजिल्का (पंजाब)
2. कृष्णलाल पुत्र बृजकिशोर जाति अग्रवाल, निवासी फाजिल्का (पंजाब)
3. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी बृजकिशोर जाति अग्रवाल निवासी फाजिल्का (पंजाब)
   (जरिये मु. आम कमल कुमार पुत्र हरीकिशोर जाति अग्रवाल, निवासी गली शरणदास वाली, फाजिल्का (पंजाब)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. समिति संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड मेहरवाला (पंजीयन क्रमांक 1235 दिनांक 14.01.1964) जरिये अध्यक्ष श्री शर्त कुमार।
2. अध्यक्ष श्री शर्त कुमार (सुरत कुमार) पुत्र दीनदयाल निवासी शनिदेव मन्दिर वाली गली, फाजिल्का (पंजाब)
3. ललित मोहन पुत्र बालचन्द पुत्र घेरूलाल जाति महाजन निवासी मैसर्स दीनदयाल सोहनलाल 40/42 एस.सी.एफ. जनता भवन कम्प लैक्स सिरसा, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
4. शंकरलाल सारदा पुत्र बालचन्द पुत्र घेरूलाल जाति महाजन निवासी सिविल लाईन भटिण्डा तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)
5. सुरत कुमार उर्फ शर्त कुमार पुत्र दीनदयाल पुत्र जगनाथ जाति महाजन निवासी गली शनि देव मन्दिर, बाजार फाजिल्का, तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब। (फौत)
   5/1 विमला रानी पत्नी सुरत कुमार उर्फ शर्त कुमार
   5/2 नकुल पुत्र सुरत कुमार उर्फ शर्त कुमार
6. भारत सारदा पुत्र दीनदयाल पुत्र जगनाथ जाति महाजन, निवासी गली शनि मन्दिर, माहरिया, बाजार, फाजिल्का, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
7. राधव सारदा पुत्र प्रदीप सारदा जाति महाजन निवासी मैसर्स घेरूलाल।
8. पुष्पा देवी पत्नी प्रदीप सारदा जाति महाजन निवासी मैसर्स घेरूलाल बालचन्द मण्डी नं. 1 अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब।
9. ग्राम पचायत टिब्बी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत टिब्बी।
10. ग्राम पंचायत मेहरवाला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मेहरवाला।
11. स्टेट जरिये तहसीलदार टिब्बी।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री हरिराम बिश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री ओमप्रकाश मोदी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3, 5/2, 6, 7, 8
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय **दिनांकः 28.08.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ प्रकरण सं. 2/16 के निर्णय दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ प्रकरण सं. 2/16 अनवान कमल कुमार बनाम सहकारी समिति के आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 07.09.2017 को निरस्त कर फरमाया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को फरमाते हुए अपील स्वीकार करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स के निमित साधारण नोटिस, रजिस्टर्ड नोटिस एव अखबार मे नोटिस प्रकाशन करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के दादा चन्द्रभान पुत्र हेतराम के नाम से वाके रोही जलालाबाद बेचिराग तहसील टिब्बी में एक संयुक्त खाते में कृषि भूमि थी उसमें दर्ज कागजात बिस्वदारी मिलकियती मकबूजा फरीकेन कागजात माल में 1/4 हिस्सेदारी में थी, जो कुल तादादी 795.17 बीधा थी जिसमें अपीलान्ट के दादा का हक मिलकियती उक्त खेवट नं. 3 पती धेरूलाल मुश्तरका रही जो कि वर्तमान किले बन्दी के बाद चक 12, 13, 14, 15, 16 एस एल डब्ल्यू मे पैमूद है जो दिनांक 01.04.1971 को संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि. मेहरवाला के नाम जरिये नामान्तरकरण चक 12 एस.एल.डब्ल्यू संख्या 16, 13 एस.एल.डब्ल्यू नामान्तरकरण संख्या 19, चक 14 एस.एल.डब्ल्यू नामान्तरकरण संख्या 20, चक 15 एस.एल.डब्ल्यू नामान्तरकरण संख्या 21/1 व 21/2 व 21/3 व चक 16 एस.एल.डब्ल्यू नामान्तरकरण संख्या 10 के द्वारा संयुक्त खाता की भूमि को मेहरवाला संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि. के नाम से दर्ज कागजात में करवा लिया व उक्त भूमि बाबात जब अपीलान्टगणो को पता चला तब जांच

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पड़ताल करने पर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त गलत प्रविष्टियो जो बिना क्षेत्राधिकार के ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की गई के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में अपील करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मेरिट पर निर्णय पारित न करते हुए धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के अभाव में मियाद बाहर अपील को मानते हुए दिनांक 07.09.2017 को आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलान्टगणो द्वारा अपने दादा चन्द्रभान के 1/4 हिस्सा भूमि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के जमाबन्दी से सम्वत 2026–2029 के बाद आगामी जमाबन्दी में नाम नही आकर उक्त सम्पूर्ण खाता भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई जबकी अपीलान्ट के दादा की सहमति नही दी थी। प्रथम सिलिग कानून 1966 से बचने के लिए रेस्पोडेन्टगणो द्वारा ऐसा किया होगा परन्तु अपीलान्ट के दादा न तो उक्त समिति में किसी पद पर थे व ना ही उनकी सहमति ली गई, रेस्पोडेन्टगणो के वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक आपत्ति धारा 96 सी पी सी एव अपील मियाद बाहर होने बाबत प्रस्तुत की गई। जिस पर अपीलान्टगणो द्वारा विस्तृत जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाधीन भूमि का जो नामान्तरकरण ग्राम पंचायत टिब्बी द्वारा दिनांक 01.04.1971 को तस्दीक किया गया है उस भूमि में 1/4 हिस्से में चन्द्रभान के नाम दर्ज चली आ रही है। अपीलान्ट हितबद्व एवं प्रभावी पक्षकार है। रेस्पोडेन्टगणो द्वारा अपीलाधीन भूमि का आपस में खाता विभाजन का एक वाद पेश किया गया जिसमे अपीलान्ट को आवश्यक पक्षकार मानते हुए न्यायालय ने दिनांक 23.05.2017 को आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने का स्वीकार कर बतौर प्रतिवादी दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के अन्तिम पैरा में एक अन्य बिन्दु यह है कि जिन इन्तकालो के अपील की है वो अब अस्तित्व मे नही है, कानून की गलत व्याख्या की गई है, कानून की मान्यता है कि जिस गलत आदेश से जो एन्ट्री दर्ज हुई है उसी ही चुनौती दी जाती है। जो गलत एन्ट्री की गई है वो कभी भी खारिज की जा सकती है, जिस पर कोई मियाद व न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नही होती है,सो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रकार से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्टगणो द्वारा उक्त अपील में यह कथन करना कि समस्त नामान्तरकरण की एक ही अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकि प्रत्येक इन्तकाल की अलग अपील करनी चाहिये यह गलत व्याख्या की गयी है, जो पूर्व मे जमीन खसरो मे एक साथ ही दर्ज थी परन्तु चकबंदी में आने पर चक अलग-अलग बनने से नामान्तरकरण प्रत्येक चक का खोले जाने के कारण अलग दर्ज हुई है जबकि मूल भूमि एकल भूमि है, इसलिए सभी इन्तकालो की एक साथ अपील की गयी है। उक्त अपील मूल आदेश के खिलाफ की गयी है ना कि नामान्तरकरणो के खिलाफ। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.09.2017 निरस्त फरमाया जाकर उभयपक्षो को समुचित सूचना, सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार टिब्बी द्वारा पुनः निर्णय पारित करने का आदेश फरमावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1995 पृष्ठ 576, RLW 2011 (1) RJ पृष्ठ 263, RRD 1999 पृष्ठ 173 (S.C), RLW 2011 (1) RJ (S.C), पृष्ठ 361, RLW 2012 (1) पृष्ठ 24, LIMITATION ACT 361 पृष्ठ 551,का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या सं. 3, 5/2, 6, 7, 8 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी – अपनी खातेदारी भूमि के अनुसरण में अलग अलग रजिस्ट्रर्ड इकरारनामा निष्पादित करके दिनांक 01.08.1970 को संयुक्त कृषि सहकारी समिति मेहरवाला मे पूल की थी। उक्त रजिस्ट्रर्ड इकरारनामो के आधार पर प्रत्येक रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि का अलग – अलग इन्तकाल दिनांक 01.04.1971 को संयुक्त कृषि सहकारी समिति के नाम दर्ज किया गया था । उक्त इन्तकालो मे जरिये रेस्पोडेन्ट्स के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी भूमि का इन्तकाल संयुक्त कृषि सहकारी समिति के नाम किया गया था। रजिस्टर्ड दस्तावेज इकरारनामा के आधार पर किया गया इन्तकाल एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरूद्व अपील पोषणीय नही है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के विरूद्व केवल सिविल न्यायालय में कार्यवाही की जा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सकती है। राजस्व न्यायालय को अधिकार नही है। अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि का संयुक्त कृषि सहकारी समिति के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया है उस इन्तकाल मे अथवा जमाबन्दी में अपीलान्ट पक्षकार नही है। इसलिए उसे अपील पेश करने का अधिकार नही है। अगर वह अपने को प्रभावित व्यक्ति मानता है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 सी पी सी के अन्तर्गत न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तथा अपीलान्ट को सभी इन्तकालो की एक अपील पेश की जो पोषणीय नही है। प्रत्येक इन्तकाल अथवा आदेश की अलग अलग अपील पेश करनी कानूनन आवश्यक होती है। साथ ही अपीलान्ट का कथन है पूर्व में संयुक्त खाता में उसके दादा चन्द्रभान की भूमि थी। उसने ऐसा कथन साबित नही किया है। चन्द्रभान वगैरह ने अपनी भूमि खसरा नम्बर पर ही अन्य लोगो को बय कर दी थी जिसका अंकन क्रेता के नाम जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 मे दर्ज है। अपीलान्ट अपना कोई हक समझता है तो क्रेताओ के विरूद्व संक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकता है। रेस्पोडेन्ट की भूमि का सन् 1962 मे खाता तकसीम हो गया था । अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट की भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। दिनांक 01.04.1971 को रेस्पोडेन्ट की भूमि का इन्तकाल संयुक्त कृषि सहकारी समिति के नाम किया गया था वह इन्तकाल वाछित समय गुजरने के बाद वापिस रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो चुके है। आज अपीलाधीन इन्तकाल समाप्त हो चुके है। ऐसे इन्तकालो के विरूद्व अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अपीलान्ट ने उक्त इन्तकाल दिनांक 01.04.1971 की अपील 45 वर्ष बाद सन् 2016 में पेश की है जो मियाद बाहर है। अपील में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद में इन्तकाल की जानकारी दिनांक 05.02.2016 को होना बताता है जो गलत है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1993 पृष्ठ 44, RRD 1993 पृष्ठ 232, RRT 2016 (2) पृष्ठ 1129, RRT 2015 (1) पृष्ठ 232 (H C), RRT 2015 (1) पृष्ठ 435 (H C), RRT 2016 (2) पृष्ठ 1110, RRT 2016 (2) पृष्ठ 1139, RRT 2016

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(2) पृष्ठ 1381 (H C), RRT 2017 (1) पृष्ठ 117 (H C), का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। हस्तगत अपील में अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के निर्णय दिनांक 07.09.2017 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट द्वारा सयुक्त सहकारी समिति लिमिटेड मेहरवाला के पक्ष मे दायर नामान्तरकरण दिनांक 01.04.1971 को चुनौति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपील वर्ष 2016 मे प्रस्तुत की गई। लगभग 45 साल के विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील का कोई ठोस, विश्वसनीय व संतोषप्रद कारण पत्रावली पर नही पाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी म्याद बिन्दु के संबध में प्रतिपादित किया है कि :

IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION,CIVIL APPEAL NOS. 6414-6417 OF 2008 (Arising out of SLP(c) Nos.201011-21014 of 2007) Pundlik Jalam Patil (D) by Lrs. Versus Exe.Eng.Jalgaon Medium Project & Anr.

"For the aforesaid reasons, we hold that the high court gravely erred and excercised its discretion to condone the inordinate delay of 1724 days though no sufficient cause has been shown by the applicants. It is for that reason, we interfere with the decision of the high court and set aside the same. The appeals are accordingly allowed without any orders as to costs."

इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अपने दादा चन्द्रभान के हक हिस्से की भूमि संयुक्त कृषि सहकारी समिति मेहरवाला के नाम दर्ज होने संबधी कथन किए है, जिन पर अपीलान्ट अपना स्वत्व होने का दावा कर रहे है, ऐसी स्थिति में प्रकरण घोषणात्मक दावे की श्रेणी मे आता है। नामान्तरकरण मात्र एक वित्तिय कार्यवाही है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.09.2017 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2017 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर